

राजस्थान सरकार  
पशुपालन विभाग

क्रमांक:-प.12(27)पपा/2012

जयपुर दिनांक:- 13 DEC 2016

--: आदेश :--

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक-13.3.2006 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक(Fixed Remuneration) रू. 22180/- (अक्षरे रूपये बाईस हजार एक सौ अस्सी मात्र) प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित पशु चिकित्सालयों में करते हैं :-

क्र. सं.	मेरिट संख्या	रोल नंबर	अधिकारी का नाम/ पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	21	100196	डॉ० रविन्द्र कुमार योगी/ श्री राधे श्याम योगी	14-07-1987	BC	प.चि. रेलावान, बारां
2.	27	100333	डॉ० रोहित चारण/ श्री शंकर दान चारण	15-08-1982	BC	प.चि.दूधाबेरी, बाडमेर
3.	52	100754	डॉ० मुकेश कुमार सैनी/ श्री गीगाराम सैनी	15-08-1988	BC	चल पशु चिकित्सा इकाई, सीकर
4.	104	100352	डॉ० लक्ष्मण सिंह/ श्री बन्ने सिंह	21-10-1983	GE	प.चि. बाला, जोधपुर
5.	111	100220	डॉ० प्रेरणा नाथावत/ श्री मदन सिंह नाथावत	07-08-1984	GE-WE	प.चि. बडीखाटू, नागौर
6.	177	100507	डॉ० सुमन वर्मा/ श्री पालाराम वर्मा	26-01-1987	BC-WE	चल पशु चिकित्सा इकाई, बांसवाड़ा
7.	186	100064	डॉ० आसु सिंह गोदारा/ श्री जालम सिंह चौधरी	21-10-1982	BC	प.चि. आलमसर, बाडमेर
8.	189	100423	डॉ० ओम प्रकाश/ श्री चिन्तामण दास	05-11-1984	BC	प.चि. नवातला, बाडमेर
9.	203	100811	डॉ० सुरेन्द्र कुमार बड़सरा/ श्री महीपाल सिंह बड़सरा	06-04-1988	BC	पशुधन आरोग्य चल ईकाई तृतीय, झाडोल, उदयपुर
10.	234	100286	डॉ० जयश्री धाभाई/ श्री अशोक कुमार धाभाई	20-04-1987	SBC-WE	बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, करौली
11.	288	100247	डॉ० अपराजिता जौहरी/ श्री अमित सक्सेना	18-04-1988	GE-WE	प.चि. त्रिवेणीधाम, जयपुर
12.	289	200133	डॉ० ममता कुमारी मीणा/ श्री रामनिवास मीणा	15-08-1988	ST-WE	प.चि. सनमानपुरा, कोटा
13.	300	200029	डॉ० किरण वर्मा/ श्री बिशन लाल	24-04-1989	SC-WE	चल पशु चिकित्सा इकाई, बून्दी
14.	332	200059	डॉ० सत्यनारायण मीणा/ श्री लीला राम मीणा	06-07-1982	ST	चल पशु चिकित्सा इकाई, सिरोही
15.	343	200142	डॉ० ज्ञान प्रकाश/ श्री घनश्याम	19-08-1985	SC	पशुधन आरोग्य चल ईकाई तृतीय, अकलेरा, झालावाड़
16.	357	100671	डॉ० अलोक कुमार/ श्री श्रीचन्द	19-05-1978	BC-LD	प.चि. बिन्जुसर, झुन्झुनूं

इन अभ्यर्थियों की जन्म तारीखें वे ही हैं, जो इन्होंने परीक्षा के अपने आवेदन पत्रों के प्रारूपों में उल्लेखित की हैं और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक् सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।

यह कि उक्त पद पर नियुक्ति नियमों की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार की जा रही है।

ये नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश सं.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 9.6.03, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.13(1)वित्त(नियम)/07, दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक प.13(1)वित्त(नियम)/2003, दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त(नियम)2004, दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतनश्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस बाबत इन्हें कार्यग्रहण करने से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।


अभ्यर्थियों द्वारा आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में कार्यग्रहण किया जावेगा। उक्त अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुज्ञेय नहीं है।

यह आदेश वित्त विभाग की ID No.151500422 दिनांक 30.03.2015 एवं कार्मिक विभाग ID No.358/DOP/A-2/2015 दिनांक 06.04.2015 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

ये नियुक्तियाँ सेवा नियमों के अध्ययाधीन निबन्धकों एवं शर्तों के या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा S.B.W.P.No. 2918/2016, 3743/2016, 5486/2016, 4319/2016, 4383/2016, 3271/2016, 5535/2016, 6394/2015, 6491/2016, 4323/2016, 5609/2016, 5996/2016, 3777/2016, 4254/2016, 4204/2016, 4690/2016, 4687/2016, 7725/2016, 4738/2016, 8045/2016, 8167/2016, 7777/2016 and 7239/2016 में पारित किये जाने वाले अन्तिम आदेशों के अध्ययाधीन होंगीं।


राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(एन.एल. गुप्ता)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ.7(25)भर्ती/गोपनीय/2012-2013/206 दिनांक 06.09.2016 के संदर्भ में।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
8. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
9. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज0, जयपुर/संबंधित संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करने के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर लें एवं शैक्षणिक योग्यता, दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र एवं संबंधित श्रेणी के प्रमाणस्वरूप मूल दस्तावेजों से आवश्यक रूप से मिलान कर लें।
10. संबंधित अभ्यर्थी डॉ0 .....
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव